न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 129/2023 तारीख रजू:— 19.07.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. इन्दरबाई पत्नी ओमप्रकाश पुत्री प्रभू जाति जाटव, निवासी बजनिया का पुरा, हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान ——————————सायला

बनाम

1.	अमरसिंह पुत्र प्रभू	सभी जाति जाटव
2.	भूरसिंह पुत्र प्रभू	निवासी भीमनगर, फुलवाडा
3.	भरोसी पुत्र प्रभू	तहसील हिण्डौन
4.	रमेश पुत्र प्रभू	जिला करौली
5.	राजूलाल पुत्र प्रभू	राजस्थान

6. तहसीलदार, तहसील कार्यालय हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
7. सब रजिस्ट्रार, तहसील कार्यालय हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान —— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायला

निर्णय दिनांक :— 16.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायला ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1105 रकवा 48 ऐयर स्थित ग्राम फुलवाड़ा तहसील हिण्डौनसिटी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 03 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1712 रकवा 23 ऐयर स्थित ग्राम फुलवाड़ा तहसील हिण्डौनसिटी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 04 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1262 रकवा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 1263 रकवा 19 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 41 ऐयर स्थित ग्राम फुलवाड़ा तहसील हिण्डौनसिटी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 05 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायला 1/32 हिस्से की, गैरसायल नम्बर 01, 1/32 हिस्से का, मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 02 व 03, 1/4–1/4 हिस्से के, गैरसायल नम्बर 02 ता 05 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 04 व 08 प्रत्येक 1/32–1/32 हिस्से के तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 10, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त आराजीयात से अन्य किसी का कोई सम्बंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 06 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 03 प्रार्थना पत्र में सायला 1/8 हिस्से की, गैरसायल नम्बर 01 ता 05 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 04 व 08 प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त आराजीयात से अन्य किसी का कोई सम्बंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 07 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 04 प्रार्थना पत्र में सायला 1/16 हिस्से की, गैरसायल नम्बर 01 ता 05 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 04 व 08 प्रत्येक 1/16–1/16 हिस्से के तथा मूल दावे का प्रतिवादी नम्बर 11, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त आराजीयात से अन्य किसी का कोई सम्बंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 08 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 04 प्रार्थना पत्र में सायला एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 05 तथा मूल दावे के शेष प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं और उन्होंने उपरोक्त आराजीयात का मौके पर अपने–अपने हिस्सानुसार वहामी तकास्मा कर उक्त भूमि पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 09 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 04 प्रार्थना पत्र का सायला एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 05 तथा मूल दावे के शेष प्रतिवादीगण के मध्य शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है, क्योंकि फसल की बुवाई व कटाई के समय डौलमैंड़ को लेकर अक्सर कहासुनी होती है, इसलिए भूमि का विधिवत तकास्मा कराया जाना आवश्यक है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 04.07.2023 को सुबह करीब 10 बजे के आसपास का है कि सायला मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 04 प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से की भूमि में फसल की बुवाई हेतु भूमि की देखभाल कर रही थी कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इतने में ही मौके पर गैरसायल नम्बर 01 ता 05 तथा ! मूल दावे के अन्य प्रतिवादीगण आ गये और सायला से कहा कि तुम अब इस जमीन पर काश्त नहीं करोगी तो सायला ने कहा कि इस जमीन में मेरा भी हिस्सा है और मैं अपने हिस्से पर काबिज काश्त हूं फिर तुम मुझे वेबजह क्यों परेशान कर रहे हो तो गैरसायलान व मूल दावे के अन्य प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि में तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे तथा भूमि को दीगर लठैत लोगों को प्लाटिंग कर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर भूमि का बेचान कर देंगे। इस पर सायला द्वारा गैरसायल नम्बर 01 ता 05 व मूल दावे के अन्य प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने के लिये कहा तो उन्होंने बंटवारा कराने से मना कर दिया और कहा कि तुमसे बने सो कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सायला के द्वारा उक्त गैरसायल नम्बर 01 ता 05 तथा मूल दावे के अन्य प्रतिवादीगण को काफी समझाया, मगर वे मानने को तैयार नहीं है। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायला को काफी क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से दृव्य से संभव नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह विवादित आराज़ी खसरा नम्बर 1105 रकवा 48 ऐयर, आराजी खसरा नम्बर 1712 रकवा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 1262 रकवा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 1263 रकवा 19 ऐयर स्थित ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली में सायला के हिस्से की भूमि से जबरन लट्ठ के बल पर सायला को बेदखल कर कब्जा नहीं करें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें तथा उक्त आराजीयात में से भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहनवय नहीं करें तथा सायला को उसके हिस्से की भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायला के उक्त भूमि में उसके हिस्से के उपयोग उपभोग व हक हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा मौका एवं रिकॉर्ड, की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.02.2024 को गैरसायल सं0 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने को समय चाहा, गैरसायलान को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 17.03.2025 को जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल सं0 6,7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी स0 2073–76 किता 3 पेश की है।

वकील सायला उपस्थित। वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायला ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायला की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/8, इन्दरबाई पुत्री प्रभू हि0 1/8, भगवानी पुत्री प्रभू हि0 1/8, भूरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/8, भरोसी पुत्र प्रभू हि0 1/8, रमेश पुत्र प्रभू हि0 1/8, रेशम पुत्री प्रभू हि0 1/8, राजूलाल पुत्र प्रभू हि0 1/8, जातियान जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.22 है0, 1263 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/16, इन्दरबाई पुत्री प्रभू हि0 1/16, भगवानी पुत्री प्रभू हि0 1/16, भूरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/16, भरोसी पुत्र प्रभू हि0 1/16, रमेश पुत्र प्रभू हि0 1/16, रेशम पुत्री प्रभू हि0 1/16, राजूलाल पुत्र प्रभू हि0 1/16, शेरसिंह पुत्र नवल हि0 1/2 जातियान जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/32, इन्दरबाई पुत्री प्रभू हि0 1/32, कुन्दनलाल पुत्र लालचंद हि0 1/4, नन्दलाल पुत्र किशनलाल हि0 1/4, भगवानी पुत्री प्रभू हि0 हि0 1/32, भूरसिंह पुत्र प्रभू हि0 हि0 1/32, भरोसी पुत्र प्रभू हि0 हि0 1/32, रमेश पुत्र प्रभू हि0 हि0 1/32, रेशम पुत्री प्रभू हि0 हि0 1/32, राजूलाल पुत्र प्रभू हि0 हि0 1/32, सोहनलाल पुत्र हीरालाल हि0 1/4 जातियान जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.23 है0, 1262 रकबा 0.22 है0, 1263 रकबा 0.19 है0, 1105 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में सायला मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2073–76 के अनुसार रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा गैरसायलान भी उक्त भूमि में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा सायला ने बंटवारा का दावा किया हुआ है। जब तक कि सायला का दावा विधिवत रूप से विभाजन होकर फाईनल डिक्री नहीं हो जाता है तब तक के लिए उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की सायला अधिकारी साबित है। इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। यदि उक्त भूमि में से सायला को गैरसायलान के द्वारा जबरदस्ती लट्ठ के बल पर बेदखल कर दिया गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है। इस प्रकार सायला का अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी भली प्रकार से साबित हैं। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.23 है0, 1262 रकबा 0.22 है0, 1263 रकबा 0.19 है0, 1105 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 16/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली